प्रेषक,

शिव गोपाल सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 14 मई, 2025

विषयः- जिला कारागार, गाजियाबाद में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी विनीत पुत्र श्री रविन्द्र, निवासी जनपद-बुलन्दशहर की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक, (मु0) कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र संख्या-34619/प्रोवेशन-3-फार्म-ए/(एम-14.09.2022) दिनांक 02.11.2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार, गाजियाबाद में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी विनीत पुत्र श्री रविन्द्र, सैदपुर, थाना-बी0बी0 नगर, जनपद-बुलन्दशहर का निवासी है। दोनो पक्षों के मध्य दीवार बनाने को लेकर चल रहे विवाद का फैसला गॉव के लोगो द्वारा किये जाने से संतुष्ट न होने के कारण दिनांक-18.05.2007 को बन्दी ने 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर राकेश कुमार नामक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र संख्या-1371/2007,182/2008 भा0द0वि0 की धारा-302, 506 एवं 25 आर्म्स एक्ट में मा0 अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-01 बुलन्दशहर के आदेश दिनांक 24-04-2017 द्वारा आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया गया। बंदी द्वारा दिनांक 21-02-2022 तक 14 वर्ष 06 माह 21 दिन की अपरिहार सजा तथा 15 वर्ष 02 माह 12 दिन की सपरिहार सजा भोग ली गयी है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जिला प्रोबेशन अधिकारी,एवं जिला मजिस्ट्रेट,बुलन्दशहर द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी द्वारा कारित अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने भविष्य में अपराध करने से इन्कार नहीं किये जाने, जेल में और आगे निरूद्व करने का सार्थक प्रयोजन होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि दीवार बनाने के विवाद में गाँव वालों द्वारा किये गये फैसले से संतुष्ट न होने के कारण दिनांक 18.05.2007 को बन्दी ने 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर राकेश कुमार नामक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या करने का जघन्य अपराध किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी का अपराध समाज को प्रभावित करने, भविष्य में अपराध करने का अवसर होने का अंकन जनपदीय अधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी विनीत पुत्र श्री रविन्द्र को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि जिला कारागार, गाजियाबाद में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी विनीत (बंदी संख्या-308/2017) पुत्र श्री रविन्द्र, निवासी जनपद-बुलन्दशहर के फार्म-ए/लाईसेंस पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए/लाईसेंस पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-469/2025/3586 (1)/22-2-2022 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- जिला मजिस्ट्रेट, बुलन्दशहर।
2- अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद।
3- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद को विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रिमि0) संख्या-529/2021 सोनाधर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य तथा सुओ मोटो रिट पिटीशन (क्रिमि0) संख्या-04/2021 पॉलिसी स्ट्रेट्जी फार ग्रान्ट ऑफ बेल में मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.09.2024 के सन्दर्भ में।
4- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी को सूचनार्थ।
5- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी को सूचनार्थ।
6- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-469/2025/3586/22-2-2022-17(1470)/2022

दिनांक 14 मई, 2025 का संलग्नक

सरकार के आदेश

जिला कारागार, गाजियाबाद में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी विनीत पुत्र श्री रविन्द्र, सैदपुर, थाना-बी0बी0 नगर, जनपद-बुलन्दशहर का निवासी है। दोनो पक्षों के मध्य दीवार बनाने को लेकर चल रहे विवाद का फैसला गॉव के लोगो द्वारा किये जाने से संतुष्ट न होने के कारण दिनांक-18.05.2007 को बन्दी ने 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर राकेश कुमार नामक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र संख्या-1371/2007,182/2008 भा0द0वि0 की धारा-302, 506 एवं 25 आर्म्स एक्ट में मा0 अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-01 बुलन्दशहर के आदेश दिनांक 24-04-2017 द्वारा आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया गया। बंदी द्वारा दिनांक 21-02-2022 तक 14 वर्ष 06 माह 21 दिन की अपरिहार सजा तथा 15 वर्ष 02 माह 12 दिन की सपरिहार सजा भोग ली गयी है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जिला प्रोबेशन अधिकारी,एवं जिला मजिस्ट्रेट,बुलन्दशहर द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी द्वारा कारित अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने भविष्य में अपराध करने से इन्कार नहीं किये जाने, जेल में और आगे निरूद्ध करने का सार्थक प्रयोजन होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि दीवार बनाने के विवाद में गाँव वालों द्वारा किये गये फैसले से संतुष्ट न होने के कारण दिनांक 18.05.2007 को बन्दी ने 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर राकेश कुमार नामक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या करने का जघन्य अपराध किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी का अपराध समाज को प्रभावित करने, भविष्य में अपराध करने का अवसर होने का अंकन जनपदीय अधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी विनीत पुत्र श्री रविन्द्र को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा बंदी की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।